संख्या-22 /2024/ 535846/2024/001-71-4002-099-2-2024

प्रेषक

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

निदेशक,
राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
ग्रेटर नोएडा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनॉक 05 अप्रैल, 2024**

विषयः-राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित बजट के सापेक्ष प्रथम किश्त की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अधिकारी, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा के पत्र संख्या-रा0अ0सं0/वित्त/2024-25/2, दिनांक-01.04.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष-2024-25 में अनुदान संख्या-031 के अधीन राजस्व लेखा शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-0371-चिकित्सा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा की स्थापना के मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रुपये 3500.00 लाख के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष-2024-25 में अनुदान संख्या-031 के अधीन राजस्व लेखा शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-0371-चिकित्सा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा की स्थापना के मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रुपये 3500.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रुपये 583.00 लाख (पांच करोड़ तिरासी लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों /प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जायेगा।
2. धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना संभव नहीं होगा।
4. धनराशि को कोषागार से संस्थान के वित्त अधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5. उपर्युक्तानुसार निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति के आवंटन/व्यय के संबंध में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-04.03.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के सापेक्ष सुसंगत शर्तो/प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्थान/विश्वविद्यालय के प्रमुख एवं वित्त नियंत्रक का होगा।

6. विगत वित्तीय वर्ष 2023-24 की यदि अप्रयुक्त धनराशि है, तो उसका समयोजन वर्तमान वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,83,00,000 (रुपये पाँच करोड़ तिरासी लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 2210051050371 चिकित्सा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा की स्थापना मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

<u>संख्या एवं तद्दिनांक</u>
<u>प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित</u>:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय ,उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय ,उ0प्र0, लखनऊ/प्रयागराज।
3. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज
5. कोषाधिकारी, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
6. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ।
7. वित्त अधिकारी, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. नोडल अधिकारी, उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।